केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/178 | दिनांक: 13.07.2018
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00164
CICOM/R/2018/00479

अपीलकर्ता : श्री देवी सिंह,
पुत्र – श्री सुखराम जाटव,
ग्राम व पो0 – जारऊ,
थाना – सादाबाद, जिला – हाथरस,
उत्तर प्रदेश – 281306.

निर्णय की तारीख : 13.07.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	30.04.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	16.05.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार, श्री ए. के. तलपात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	27.06.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	319/06.07.2018 (388/05.07.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 30.04.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रेषित अपने दिनांक 18.12.2017 के द्वितीय अपील पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अवतार तलवार एवं श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त संदर्भित आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ श्री कृष्ण अवतार तलवार एवं श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना **बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है** । साथ ही अपीलकर्ता को पुनः अवगत करवाया जाता है कि उनकी बारी आने पर उनके द्वितीय अपील पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा सुनवाई की जाएगी एवं सुनवाई निधारित होने पर इसकी सूचना अपीलकर्ता को भी संबंधित उप-पंजीयक द्वारा प्रेषित की जाएगी ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
13 JUL 2018
D. No.........
Initials.........

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

13/07/18